

अनुसूची -I प्ररूप

प्ररूप ख

SCHEDULE-I FORMS

FORM B

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020

(PORTFOLIO MANAGERS) REGULATIONS, 2020

[विनियम 10]

[Regulation 10]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

I. बोर्ड, पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत बनाए गए विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with the regulations made thereunder for the Portfolio Managers, the Board hereby grants a certificate of registration to

CAGR Financial Services Private Limited

H8, Entire 17 FL PL 8PT T-13,, Lodha, Commercial Tower, India, Antop Hill, , MAHARASHTRA, 400037,
INDIA

को अधिनियम में और उसके तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई शर्तों के अधीन, पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
as a **Portfolio Manager** subject to the conditions specified in the act and in the regulations made thereunder.

II. पोर्टफोलियो प्रबंधक की रजिस्ट्रेशन संख्या है : पो. प्र.

INP000010168

II. Registration Number for the Portfolio Manager is P M/

III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के अनुसार निलंबित न कर दिया जाए, रद्द न कर दिया जाए या उसे वापस न सौंप दिया जाए (अभ्यर्पित न कर दिया जाए)

IV. This certificate of registration shall be valid till it is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.

आदेश द्वारा / By order

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / Securities and Exchange Board of India

स्थान : Place : MUMBAI

दिनांक : Date : 17-07-2026

GAFRANA
ROSHAN
ANJUMDigitally signed by
GAFRANA
ROSHAN ANJUM
Date: 2026.07.24
11:14:22 +05'30'

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory